

## नगालैंड में अफस्पा का वसितार

### प्रलिस के लयः

सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम 1958, कोन्याक जनजात, वशष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

### मेन्स के लयः

सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम 1958 और इसकी आवश्यकता, भारत की आंतरकल सुरक्षा के लय चुनौतयलं

## चरचा में क्योँ?

कोन्याक संगठनों की संरक्षक संस्था 'कोन्याक सवलल सोसाइटी संगठन' ने [सशस्त्र बल \(वशष शक्तयों\) अधनयलम 1958 \(AFSPA\)](#) के वसितार की नदल की है ।

- नगालैंड में सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम 1958 को 30 दसलंबर 2021 से छह महीने के लय बढ़ल दयल गयल है ।

## कोन्याक

### परचयः

- नगालैंड में कोन्याक जनजात एओ, तंगखुल, सेमा और अंगामी के बाद सबसे बड़ी जनजातल है ।
- अन्य नागल जनजातयों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खमलनुंगम, यमलचुंगरे, जेलयलंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं ।
- मानल जलतल है कल 'कोन्याक' शब्द 'वहाओ' शब्द से लयल गयल है जसकल अरथ है 'सरल' और 'न्याक' कल अरथ है 'कालल' । इसकल अनुवलद 'काले बालों वलल पुरुष' है ।
- उन्हें दो समूहों में बाँटल जल सकतल है- 'थेंडु', जसकल अरथ है 'टैटू वलल चेहरल' और 'थेंथो', जसकल अरथ है 'सफेद चेहरल' ।

### परवशः

- यह जनजातल ज्यलदातर मोन ज़लल में नवलस करतल है, जलनलें 'द लैंड ऑफ द एंग्स' के नलम से भी जलनल जलतल है, वे अरुणलचल प्रदेश, असम और म्यॉमार के कुछ ज़ललों में भी पलए जलते हैं ।
- अरुणलचल प्रदेश में उन्हें वलंचो के रूप में जलनल जलतल है ('वलंचो' 'कोन्याक' कल परयलवलची शब्द है) ।
  - जलतीय, सलंसकृतकल और भलषायी रूप से एक ही पड़ोसी रलज्य अरुणलचल प्रदेश के नोकटेस और तलंगसल भी कोन्याक से नकलटतल से संबंघतल हैं ।

### मनलए जलने वलले त्योहार :

- तीन सबसे महत्त्वपूरण त्योहार एओलगलमोन्यु, एओनमलओ और ललउन-ओंगमो हैं ।
  - एओलगलमोन्यु अपरैल के पहले सप्तलह में बीज बोने के बाद मनलयल जलतल है और यह नए सलल की शुरुआत कल परतीकल है । इसकल धलरमकल महत्त्व समृद्ध फसल के लयल भगवलन को परसनन करनल है ।
  - पहली फसल जैसे- मक्कल और सबजयों की कटाई के बाद जुललई यल अगस्त में एओनमलओ मनलयल जलतल है ।
  - ललउन-ओंगमो एक धन्यवलद देने वललल त्योहार है और सभी कृषल गतवलधलयों के पूरल होने के बाद मनलयल जलतल है ।

## परमुख बदल

### सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम, 1958:

#### पृष्ठभूमलः

- **भलरत छोड़ो आंदोलन** के दौरान वरलध परदरशनों को दबलने के लयल बनलए गए बरटलशल-युग के कलनून कल पुनरजन्म, AFSPA 1947 में चलर अधयलदेशों के मलध्यम से जलरी कयल गयल थल ।

- अध्यादेशों को 1948 में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर में वर्तमान कानून 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जी.बी. पंत द्वारा प्रभावी किया गया था।
- इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।
- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिये अनुकूलित किया गया था।
- **परिचय:**
  - AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बर्बाद करने के किसी भी परिसर की तलाशी लेने तथा अभियोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ नरिंकुश शक्तियाँ देता है।
  - नगा हिल्स में विद्रोह से निपटने के लिये कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ, उसके बाद असम में विद्रोह हुआ।
- **अशांत क्षेत्र:**
  - 1972 में अधिनियम में संशोधन किया गया और एक क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।
  - वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिये AFSPA का विस्तार करने हेतु समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।
  - मणिपुर और असम के लिये अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।
  - त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को नरिंसत कर दिया और मेघालय में 27 वर्षों से AFSPA लागू था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल, 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया।
  - यह अधिनियम असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लागू किया गया था।
  - जम्मू और कश्मीर में एक अलग जम्मू-कश्मीर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1990 है।
- **अधिनियम को लेकर विवाद:**
  - **मानवाधिकारों का उल्लंघन:**
    - कानून गैर-कमीशन अधिकारियों तक, सुरक्षाकर्मीयों को बल का उपयोग करने और "मृत्यु का कारण बनने तक" गोली मारने का अधिकार देता है, यदा वे आश्वस्त हैं कि "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिये ऐसा करना आवश्यक है।
    - यह सैनिकों को बर्बाद करने के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।
    - सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फरजी मुठभेड़ों और अन्य **मानवाधिकारों के उल्लंघन** के आरोप लगते रहे हैं, जबकि नगालैंड एवं जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में AFSPA के अनधिकृतकालीन लागू होने पर सवाल उठाया गया है।
  - **जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:**
    - नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त की।
    - समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं:
      - AFSPA को नरिंसत किया जाना चाहिये और **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये
      - सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से नरिदषि्ट करने हेतु गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक ज़िले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शकियत प्रकोषट स्थापित किये जाने चाहिये।
    - **दूसरी ARC की सिफारिशें:** सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी अफसपा को नरिंसत करने की सिफारिश की गई है। हालाँकि, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।
  - **अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार:**
    - वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नरिणय (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।
    - इस नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
      - केंद्र सरकार द्वारा स्व-परेरणा से घोषणा की जा सकती है, हालांकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिये;
      - घोषणा एक सीमाति अवधि के लिये होनी चाहिये और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है;
      - अफसपा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिये।

## आगे की राह

- वर्षों से हुई कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के कारण अधिनियम की यथास्थिति अब स्वीकार्य समाधान नहीं है। AFSPA उन क्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहाँ इसे लागू किया गया है इसलिये सरकार को प्रभावति लोगों को संबोधति करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लिये आश्वस्त करने की आवश्यकता है।
- सरकार को मामले-दर-मामले आधार पर अफसपा को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिये और पूरे राज्य में इसे लागू करने के बजाय इसे केवल कुछ सवेदनशील ज़िलों तक सीमाति करना चाहिये।
- सरकार और सुरक्षा बलों को **सर्वोच्च न्यायालय**, **जीवन रेड्डी आयोग** और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (NHRC) द्वारा नरिधारति दिशा-नरिदेशों का भी पालन करना चाहिये।

स्रोत: द हद्वै

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/afspa-extended-in-nagaland-1>

